विशेष अभियान

संख्याः49 /2016/ 2368/33-3-2016/110/2012

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2016**

विषयः स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों में प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाकर शौचालय निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-45/2016/2288/33-3-2016/110/2012 दिनांक 02.09.2016 को भाषायी त्रुटि के आधार पर निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 2 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत एक तरफ जहाँ विभिन्न जनपदों में सी०एल०टी०एस० विधा के माध्यम से गांवों में समुदाय के बीच ट्रिगरिंग कर शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं उपरोक्त प्रयासों के साथ ही निर्धारित समयावधि का विशेष अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों में (जो चलने फिरने अथवा देखनें में असमर्थ हों) को प्राथमिकता के आधार पर शौचालय निर्माण का कार्य कराया जाना उचित होगा।

उपरोक्त के क्रम में अपेक्षित है कि आप उपरोक्तानुसार दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु एक निर्धारित समय का " विशेष अभियान " चलाकर आच्छादित करें। इस हेतु सर्वप्रथम जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर कण्ट्रोल रूम का टेलिफोन न० प्रचार प्रसार कर सार्वजानिक कर दें। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा पेन्शन प्राप्त कर रहे दिव्यांगों की सूची उनके खाते के विवरण सहित विकलांग जन कल्याण विभाग से प्राप्त कर उसका सत्यापन करवा लें। सत्यापन में खाता संख्या व मोबाइल नम्बर अवश्य प्राप्त किया जाय। सत्यापन में पात्र पाये जाने पर बेस लाईन से मिलान कर लें एवं बेस लाईन में उनकी प्रविष्टि यदि न हों तो प्रविष्टि करा लें। तदुपरान्त उन्हे शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाय। स्वीकृति पत्र में ही यह जानकारी भी लिख दी जाय कि विशेष अभियान के अन्तर्गत आपको यह स्वीकृति पत्र इस आशय से जारी किया गया है कि आप यदि एक माह में शौचालय का निर्माण करवाकर ग्राम प्रधान/सचिव/कन्ट्रोल रूम में लगे फोन पर सूचित करेंगें कि शौचालय का निर्माण करवा लिया गया है तो उसके 03 दिवसों के अन्दर सत्यापन करवा लिया जाएगा। सत्यापन होने के 24 घंटों के अन्दर धनराशि आपके खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी। स्वीकृति पत्र के साथ व्यक्तिगत शौचालय की डिजाइन भी संलग्न की जाय। साथ ही स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 01 माह के अन्दर शौचालय निर्माण की समयावधि भी निर्धारित कर दी जाए। निर्माण होने के पश्चात शौचालय

shasnadesh.up.nic.in

की फोटो व्हाटस एप पर मंगाने की व्यवस्था भी कन्ट्रोल रूम में कर ली जाय। उक्त कार्यवाही निम्न समयसारिणी के अनुसार करने का कष्ट करें:-

क्र०	गतिविधियाँ	तिथि
1	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में फोन न० सहित कंट्रोल रूम की स्थापना	01-05 सितम्बर, 2016
2	दिव्यांग लाभार्थियों की सूची खाता संख्या सहित विकलांग जन कल्याण विभाग से प्राप्त कर ले	01-05 सितम्बर, 2016
3	सूची का सत्यापन कर शौचालय विहीन पात्र व्यक्तियों के नाम व मोबाइल नम्बर आदि भारत सरकार की वेबसाइट पर अपडेट कर लें	05-10 सितम्बर 2016
4	चिन्हित लाभार्थी को स्वीकृत पत्र जारी कर लाभार्थी से रिसीविंग खाता विवरण सहित प्राप्त कर लें	10-15 सितम्बर, 2016
5	शौचालय का निर्माण	15 सितम्बर से 14 अक्टूबर, 2016
6	शौचालय निर्माण की सूचना हेल्प लाइन, मोबाइल अथवा टोल फ्री न0 से प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर सत्यापन करवा लें	नियमित जारी रहेगा
7	सत्यापन के पश्चात 24 घंटे के अन्दर धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करवा दें	नियमित जारी रहेगा

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
2- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०शासन।
3- सचिव, विकलांग कल्याण उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
6- समस्त उप निदेशक (पं०), उ०प्र०।
7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

आज्ञा से

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in